उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन लाडपुर रिंगरोड, देहरादून
दूरभाष 0135–2675780, 2675779
ईमेल :uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक /उ0सू0आ0./ 2014–15 दिनॉक

प्रेषक

नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड, शासन

सेवा में

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषयः **आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की जान–माल की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश।**

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1956/उ.सू.आ./2011 दिनांक 08/03/2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आयोग के समक्ष प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों में से कुछ चार प्रकरण आपके संज्ञान में लाये गये थे जिनमें कतिपय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपने पद तथा उनको प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया तथा इन प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश आपके स्तर से देने का भी आग्रह किया गया था ताकि आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के साथ–साथ उनका किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न हों।

आप अवगत ही हैं कि दिनांक 14/02/2012 की रात्रि में आर0टी0आई0 कार्यकर्ता श्री जगदीश प्रसाद चौहान, निवासी ग्राम फेरूपुर थाना पथरी, जिला हरिद्वार की हत्या की गयी है जिसमें आर0टी0आई0 कार्यकर्ता व आम नागरिकों में हतोत्साह व भय व्याप्त है। इस प्रकार की

जघन्य घटनाओं से आम नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना पर भी कुठाराघात होगा। अतः भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं:–

1. आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोग के समक्ष अथवा सुनवाई के समय यह शिकायत प्राप्त होने पर कि उन्हे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के कारण डराने अथवा जान से मारने की धमकी या फिर आवेदन पत्र वापस लेने के लिए दबाव दिया जा रहा है तब इस प्रकार की शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए आयोग कार्यालय में उक्त आवेदन पत्र को एक विशिष्ट पंजिका जिसका प्रारूप निम्न प्रकार से है, में अंकित किया जायेगा।

क्रं सं0	शिकायत कर्ता का नाम पिता का नाम व पता	थाना/ तहसील / जिला	शिकायत प्रस्तुत करने का दिनांक	शिकायत की विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण	जांच/ कार्यवाही हेतु भेजे गये अधिकारी का नाम व पता	शिकायत भेजने का दिनांक	जांच आख्या प्राप्त होने का दिनांक	जांच अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. उक्त अंकित शिकायती पत्र को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद के जिलाधिकारी अथव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रमुख सचिव, गृह व पुलिस महानिदेशक को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी।

3. शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह पुलिस महानिदेशक व जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भी उपरोक्त प्रारूप पर एक पंजिका रखी जायेगी, जिसमें आयोग द्वारा प्रेषित उक्त शिकायती पत्र तथा उनको सीधे प्राप्त शिकायती पत्रों का विवरण अंकित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऐसे पत्रों तथा सीधे उन्हें प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों को अविलम्ब पंजिका में दर्ज करते हुये जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित तहसील/थाने को प्रेषित करेंगे। संबंधित थाने व तहसील स्तर पर भी उपरोक्तानुसर वर्णित प्रारूप पर एक पंजिका रखी जायेगी। जहाँ उपरोक्त अधिकारीगण को यह प्रतीत हो कि शिकायतों की जाँच जिला स्तर पर की जानी आवश्यक है, जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से जाँच अधिकारी नामित कर शिकायत पर जाँच कराकर तत्काल वैधानिक/निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

5. जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त उक्त शिकायती पत्र को तहसील/थाने स्तर पर रखी पंजिका में अंकित कर जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसील/थाने को भेजा जायेगा। यहां पर यह विशेष उल्लेख करना है कि इस प्रकार के प्रकरणों की जाँच नायब तहसीलदार अथवा पुलिस उपनिरीक्षक के नीचे के स्तर से नहीं करायी जायेगी।

6. उपरोक्त संबंधित अधिकारी नियत अवधि में अपनी जाँच आख्या व प्रभावी कार्यवाही कर विवरण से तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी अथव क्षेत्राधिकारी पुलिस को भी अवगत करायेंगे। यदि आवेदक/शिकायतकर्ता नायब तहसीलदार अथवा पुलिस उपनिरीक्षक के द्वारा की गयी कृत जांच एवं कृत कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तब यह जांच संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा क्षेत्राधिकारी पुलिस के द्वारा स्वयं की जायेगी तथा उनके द्वारा अपने स्तर से समुचित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी एवं अपनी आख्या जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

7. किसी भी आर0टी0आई0 कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न, हिंसक वारदात अथवा हत्या जैसी घटना घटित होने पर राजस्व पुलिस क्षेत्र में नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी व नियमित पुलिस क्षेत्र में संबंधित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

8. जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आवेदक के प्रार्थना पत्र पर की गई जांच व कार्यवाही की आख्या एक माह के अंदर उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सीधे प्रेषित करते हुए यथास्थिति से प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को भी प्रेषित करेंगे।

इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों की जांच तथा उन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रत्येक माह स्वयं की जायेगी तथा इसकी आख्या प्रत्येक माह नियमित रूप से राज्य सूचना आयोग को भेजी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत करायें। शासन स्तर से जारी किए गए निर्देश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवनिष्ठ,

(नृप सिंह नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड , देहरादून
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड

(नृप सिंह नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त